

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिरूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 14/09/2028

संख्या-14/प्रो-805/2028- 16235 /सां०प्र०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,
पटना की अधिरूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिरूचना संख्या-638,
दिनांक-10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार
प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उप सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके
निहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता
है:-

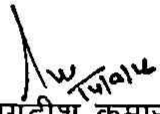
क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) एवं गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2026 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1.	राहुल, सीवान	42	मूल कोटि
2.	मो० कबीर, दरभंगा	96	मूल कोटि
3.	सुजाता राज वैशाली	796	मूल कोटि
4.	वरुणजय कुमार औरंगाबाद	797	मूल कोटि
5.	अमेत विक्रम बैनामी पटना	799	मूल कोटि
6.	संतोष कुमार अररिया	800	मूल कोटि
7.	अभिषेक राज मोजपुर	801	मूल कोटि
8.	डॉ० अर्चना कुमारी नालन्दा	802	मूल कोटि
9.	सुभाषिनी प्रसाद मुजफ्फरपुर	803	मूल कोटि
10.	मिश्रा रंजीत कुमार सिंह शिवहर	804	मूल कोटि
11.	सरोज पासवान मुंगेर	806	मूल कोटि
12.	रीतु रानी सीतामढ़ी	807	मूल कोटि
13.	अनुराधा कुमारी किशोर गोपालगंज	808	मूल कोटि
14.	कुमारी आरती पटना	809	मूल कोटि
15.	हिना पटना	810	मूल कोटि

14/09/28

16.	कुमारी रंजना भारती प० चम्पारण	811	मूल कोटि
17.	टेश लाल सिंह भोजपुर	812	मूल कोटि
18.	रश्मि कुमारी सिवान	813	मूल कोटि
19.	अनुपम मुंगेर	814	मूल कोटि

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप सचिव एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

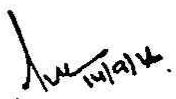
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(जगदीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14/प्र०-805/2026-16835/सा०प्र० पटना-15, दिनांक-14/09/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29 (चारित्री कोषांग, बि०प्र०से०), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।